Regd. No. CHD/0093/2012-2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, FRIDAY, JULY 11, 2014
(ASADHA 20, 1936 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 11th July, 2014

No. 24-HLA of 2014/60.— The National Law University Haryana (Amendment) Bill, 2014 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :–

Bill No. 24—HLA of 2014

THE NATIONAL LAW UNIVERSITY HARYANA (AMENDMENT) BILL, 2014

A

Bill

further to amend the National Law University Haryana Act, 2012.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the National Law University Haryana (Amendment) Act, 2014.

Amendment of long title of Haryana Act 15 of 2012.

2. In the long title of the National Law University Haryana Act, 2012 (hereinafter called the principal Act), for the words "THE NATIONAL LAW UNIVERSITY HARYANA", the words and signs "DR. B. R. AMBEDKAR NATIONAL LAW UNIVERSITY SONEPAT" shall be substituted.

Amendment of preamble to Haryana Act 15 of 2012.

3. For the existing preamble to the principal Act, the following preamble shall be substituted, namely :–

> "to establish and incorporate Dr. B. R. Ambedkar National Law University Sonepat in the State of Haryana for evolving and imparting comprehensive legal education to achieve excellence in all branches of law and its allied disciplines.".

Amendment of short title of Haryana Act 15 of 2012.

4. In the short title of the principal Act, for the words "National Law University Haryana", the words and signs "Dr. B. R. Ambedkar National Law University Sonepat" shall be substituted.

Amendment of section 2 of Haryana Act 15 of 2012.

5. In clause (k) of section 2 of the principal Act, for the words "National Law University Haryana", the words and signs "Dr. B. R. Ambedkar National Law University Sonepat" shall be substituted.

Amendment of section 3 of Haryana Act 15 of 2012.

6. In sub-section (1) of section 3 of the principal Act, for the words and sign "National Law University Haryana", the words and signs "Dr. B. R. Ambedkar National Law University Sonepat" shall be substituted.

Repeal and savings.

7. (1) The National Law University Haryana (Amendment) Ordinance, 2014 (Haryana Ordinance No. 4 of 2014) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Owing to the demand from general public that an institution of higher learning may be named after Dr. Bhim Rao Ambedkar, the State Government decided to change the name of National Law University, Haryana to Dr. B. R. Ambedkar National Law University, Sonipat. And an Ordinance was promulgated to meet this object. Now the Ordinance is required to be converted into a Bill.

Hence, this Bill.

GEETA BHUKKAL,
Education Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 11th July, 2014.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

[*प्राधिकृत अनुवाद*]

2014 का विधेयक संख्या 24 - एच०एल०ए०

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हरियाणा (संशोधन) विधेयक, 2014

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हरियाणा अधिनियम, 2012
को आगे संशोधित
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में *यह अधिनियमित हो :—*

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हरियाणा (संशोधन) अधिनियम, 2014, कहा जा सकता है।

2012 के हरियाणा अधिनियम 15 के दीर्घ शीर्ष का संशोधन।

2. राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हरियाणा अधिनियम, 2012 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) के दीर्घ शीर्ष में, "राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हरियाणा" शब्दों के स्थान पर "डॉ० बी० आर० अम्बेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय सोनीपत" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2012 के हरियाणा *अधिनियम 15 की* प्रस्तावना का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की विद्यमान प्रस्तावना के स्थान पर, निम्नलिखित प्रस्तावना प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"*विधि तथा इसकी सहबद्ध शिक्षण की समस्त शाखाओं मे उत्कृष्टता हासिल* करने के लिए व्यापक विधि शिक्षा विकसित तथा प्रदान करने हेतु हरियाणा राज्य में डॉ० बी० आर० अम्बेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय सोनीपत को स्थापित तथा निगमित करने के लिए अधिनियम।"।

2012 के हरियाणा अधिनियम 15 के लघु शीर्ष का संशोधन।

4. *मूल अधिनियम के लघु शीर्ष में "राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हरियाणा" शब्दों के स्थान पर* "डॉ० बी० आर० अम्बेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय सोनीपत" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2012 के हरियाणा अधिनियम 15 की धारा 2 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ट) में, "राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हरियाणा" शब्दों के स्थान पर "डॉ० बी० आर० अम्बेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय सोनीपत" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2012 के हरियाणा *अधिनियम 15 की* धारा 3 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) में, "राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हरियाणा" शब्दों के स्थान पर "डॉ० बी० आर० अम्बेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय सोनीपत" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

7. (1) राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हरियाणा (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 4), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई *कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।*

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

जनता की मांग कि उच्चतर शिक्षा की किसी संस्था का नाम डॉ० भीम राव अम्बेडकर के नाम पर रखा जाए, को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, हरियाणा का नाम परिवर्तित करके डॉ० भीम राव अम्बेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, सोनीपत करने का निर्णय लिया गया। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक अध्यादेश प्रकाशित किया गया। अब अध्यादेश को विधेयक में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है।

अतः बिल प्रस्तुत है।

गीता भुक्कल,
शिक्षा मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 11 जुलाई, 2014.

सुमित कुमार,
सचिव।

52452—H.V.S.—H.G.P., Chd.